



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 पौष 1943 (श0)

(सं0 पटना 1069) पटना, वृहस्पतिवार, 30 दिसम्बर 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

28 दिसम्बर 2021

सं० 10 न०वि०/विविध-54/2021-3751—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का प्रारूप, जिसे वह निर्गत करना चाहते हैं, उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाय।

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम के धारा-5 के अधीन विचार किया जायेगा।

प्रारूप आदेश

संख्या-10 न०वि०/विविध-54/2021-3751/बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 984 दिनांक 03.03.2021 द्वारा नालन्दा जिलान्तर्गत नगर पंचायत राजगीर का नगर परिषद् में उत्क्रमण किया गया था। उक्त अधिसूचना को आंशिक संशोधन करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 में पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिनकी चौहद्दी कॉलम 5 में दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करना आवश्यक है तथा उक्त क्षेत्र को कॉलम 2 में अंकित नगर परिषद् कहा जायेगा।

जिला का नाम-नालन्दा					
क्रमांक	प्रस्तावित नगर निकाय का नाम	सम्मिलित क्षेत्रों/ग्रामों का नाम एवं थाना संख्या	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	प्रस्तावित नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं० सहित)	प्रस्तावित नगर परिषद् की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद् राजगीर	नगर परिषद् राजगीर में सम्मिलित ग्राम एवं नई पोखर-485 बालवापर-461 लक्ष्मीपुर-461 लहुआर-461 पोखरपर-461 गाजीपुर-461 सौरैय-472 रामहरि पिंड-485 कटारी-501 बड़हरी-481 तिलैया-481 उदयपुर-481 पथरौरा-480 नोन्ही-478 नाहुब-476 बेलौआ-470	पिलखी एवं मेयार (पूर्ण भाग) नई पोखर, गोरौर, पथरौरा, नाहुब (आंशिक भाग)	उत्तर-बेलौआ-470, नाहुब-476 दक्षिण-पथरौरा-480 पूरब-लहुआर, विरचैत, आयुद्ध निर्माण फैक्ट्री के पूर्वी दीवार-461, 462 पश्चिम-कटारी-501	78514

2. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1069-571+200-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>